

प्राप्ति सेवा शिविर-2025


पृष्ठ-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ओग
 व भूअनि चौफरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बेलमगर /नायब
 तहसीलदार बेलमगर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम वासपणम तहसील बेलमगर व
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 57 में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>वासपणम</u>	<u>57</u>	<u>रुप ७३ मोल्स</u> <u>जाति-तेली</u>	<u>रूपलाल पुत्र मोल्स</u> <u>जाति-तेली</u>


उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत
 पटवारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक- 305
 प्रतिलिपि -

दिनांक :- 10/10/25

1. तहसीलदार बेलमगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री रूपलाल पुत्र मोल्स तेली को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत
 पटवारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर